

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 569]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2018—आश्विन 14, शक 1940

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

क्रमांक एफ 5(ए)/6/2016/ई/चार : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य वित्त राजपत्रित सेवाएं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्न लिखित सामान्य नियम बनाते हैं अर्थात्, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा राजपत्रित भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2018" है।
- (2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषायें :-

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) "नियुक्त प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शासन या ऐसा अधिकारी जिसे इस सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति है;
- (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;
- (ग) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश;

- (ड) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (छ) "सेवा के सदस्य" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसे इन नियमों या इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों तथा आदेशों के उपबंधों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो,
- (ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र-एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न अनुसूची;
- (ञ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ट) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ठ) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा;
- (ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।
3. विस्तार एवं लागू होना :-
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।
4. सेवा का गठन :-
सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-
(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और
(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।
5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि:-
(1) सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी;
परन्तु, सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर स्थायी या अस्थायी रूप से वृद्धि या कमी कर सकेगी।
(2) सेवा का कोई भी सदस्य सेवा की संरचना में किसी भी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप या सरकार द्वारा संवर्ग में किसी रिक्त पद को भरा नहीं जाने या उसे प्रास्थगित रखने की दशा में प्रतिकर का पात्र नहीं होगा।

6. भर्ती का तरीका:-

- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएंगी, अर्थात्:-
 - (क) सीधी भर्ती/प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा,
 - (ख) मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा :
परन्तु, इस खण्ड के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची-2 के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
 - (ग) अन्य पद या सेवाओं से व्यक्तियों के संविलियन द्वारा, जैसाकि राज्य सरकार, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें। संविलियन करने पर खण्ड (क) एवं (ख) से 1:1 के अनुपात में चक्रानुक्रम के आधार पर पद भरे जाएंगे। चक्रानुक्रम खण्ड (ख) के अधीन उपबंधित पदों से आरंभ होगा।
- (2) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति को भरने के प्रयोजन हेतु रीति, जो भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान अपेक्षित की जाए तथा प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक रीति द्वारा भर्ती की जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग के परामर्श से सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।
- (3) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण उप-नियम में अंतर्विष्ट तरीकों से भिन्न भर्ती किया जाना अपेक्षित हो, तो सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति एवं आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा भर्ती की अन्य रीतियों को अंगीकार किया जा सकेगा।

7. सेवा में नियुक्ति :-

इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम-6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता सम्बन्धी शर्तें :-

सीधी भर्ती के लिये पात्र होने के लिये किसी भी अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:-

- (1) आयु:-न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट ऐसी होगी जैसाकि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय, पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अवधारित किया जाए।
- (2) शैक्षणिक अर्हता :-
अभ्यर्थी के पास अनुसूची-तीन में दर्शायी गयी सेवा/पद के लिए विहित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं होना चाहिए :
परन्तु, आपवादिक मामलों में, आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से ऐसे अभ्यर्थियों को अर्ह मान सकेगा जो यद्यपि इस खण्ड में से विहित अर्हताओं में

से कोई अर्हता नहीं रखता हो, किंतु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए पात्र अभ्यर्थियों के रूप में विचार हेतु न्याय संगत ठहराती हों।

- (3) फीस:—अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग /सरकार द्वारा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित फीस का संदाय करना होगा।

9. निरर्हता :-

- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग/सरकार द्वारा परीक्षा/चयन के लिए निरर्हता माना जाएगा।
- (2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गयी न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक संतान हों, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को अथवा उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि दूसरी संतान जुड़वा न हो।
- (4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, सेवा के लिए पात्र नहीं होगा।
परन्तु, जहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित हो तो उसकी नियुक्ति आपराधिक मामले का विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी।
- (5) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, सेवा के लिए अपात्र होगा।
- (6) अन्य कोई, कारण जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

10. पात्रता के सम्बन्ध में विनिश्चय :-

परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और अपात्र पाया गया कोई अभ्यर्थी परीक्षा/साक्षात्कार में भाग नहीं ले सकेगा।

11. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :-

- (1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अन्तरालों से की जाएंगी, जैसाकि सरकार समय-समय, पर आयोग के परामर्श से निर्धारित करे। परीक्षा, सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी।

- (2) सीधी भर्ती के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार 16 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति, 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजाति तथा 14 प्रतिशत पद अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। उपलब्ध रिक्तियों में से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए भी पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (3) इस प्रकार रिक्त स्थानों को भरते समय ऐसे अभ्यर्थियों, जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम नियम 13 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनकी सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (4) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां किसी भी रीति में अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी।
- (5) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से दिव्यांग जनों /निःशक्तजनों के लिए आरक्षण के उपबंध होरीजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाइज होंगे।

12. आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची :-

- (1) आयोग, इसके द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम से बनाई गयी सूची तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं हैं, किन्तु जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, सरकार को भेजेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित भी की जाएगी।
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अधधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्त स्थानों पर सूची में आए उनके नामों के क्रम से अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये विचार किया जाएगा।
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात जैसीकि वह आवश्यक समझे, समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (4) आयोग द्वारा जारी चयन सूची, जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष तक की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी तथा जिसे आयोग की सहमति से 6 माह की कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

13. परीक्षा तथा प्रशिक्षण :-

सेवा में सीधी भर्ती से किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परीक्षा की कालावधि के दौरान विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं और स्थलों में विहित प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी विहित मानक अर्जित करने में असफल रहता है तो परीक्षा कालावधि बढ़ाई जा सकेगी। ऐसी विहित परीक्षा तथा प्रशिक्षण में जैसाकि समय-समय पर, संचालित किया जाए, विहित मानकों से अर्ह होने में असफल रहने पर परीक्षा कालावधि बढ़ाई जा सकेगी तथा सेवोन्मुक्त भी किया जा सकेगा।

14. परीक्षा के दौरान में वेतन:-

सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी परीक्षा की कालावधि के दौरान न्यूनतम वेतनमान पर वेतन प्राप्त करेगा। विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही वह प्रथम वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिये पात्र होगा। यदि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न कर सकने के कारण किसी अधिकारी की वेतनवृद्धि रोक दी जाए तो ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, वह जिस माह में संबंधित परीक्षा ली जाए उसके आगामी जनवरी/जुलाई माह के प्रथम दिन से उसे अनुज्ञात की जाएगी और जिस कालावधि के दौरान वेतन वृद्धि रोक दी गयी हो, उस कालावधि की गणना समयमान में वेतन वृद्धि के लिये की जाएगी।

15. मध्यप्रदेश वित्त सेवा के वरिष्ठ श्रेणी, प्रवर श्रेणी, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी तथा अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति के लिये पात्रता आदि की शर्त:-

- (1) कनिष्ठ श्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी, प्रवर श्रेणी, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान, में कार्य कर रहे केवल ऐसे अधिकारी ही सेवा के उच्चतर वेतनमान में नियुक्ति हेतु अनुसूची चार (क) के कॉलम (4) में विहित चयन समिति द्वारा विचारण हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने एक जनवरी को अनुसूची चार (क) के कॉलम क्रमांक (3) में यथा विहित सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो.

स्पष्टीकरण:- चयन के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति:- संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय समिति आहुत की गई है, अर्हकारी सेवा की गणना की जाएगी। एक जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना उस केलेण्डर वर्ष के प्रारंभ से की जायेगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग /सेवा के भाग / पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जाएगी।

तथापि, सेवा का कोई कनिष्ठ सदस्य उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा के वर्ष के आधार पर इन नियमों के अधीन सेवा के उच्चतर वेतनमानों में, उससे वरिष्ठ व्यक्ति से पहले नियुक्ति के लिये विचार किये जाने का पात्र नहीं होगा,

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तन की जानकारी समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों को, यदि कोई हो, विचार में लेने के पश्चात् सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हो, जो उसकी राय में समुचित तथा न्यायसंगत, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।

(3) चयन का आधार "वरिष्ठता सह योग्यता" होगा, उपरोक्तानुसार चयन सूची, आगामी एक वर्ष तक की उद्भूत होने वाली रिक्तियों को ध्यान में रखते हुये बनाई जायेगी। राज्य सरकार द्वारा चयन सूची का अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् अनुमोदित चयन सूची में से सेवा के उच्चतर वेतनमानों में पदों की उपलब्धता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी।

16 पदोन्नति द्वारा नियुक्ति:-

- (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिये अनुसूची-चार (ख) के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित सदस्यों से मिलकर एक पदोन्नति समिति गठित की जाएगी।
- (2) समिति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, संबंधित पंक्ति के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों से, अनुसूची चार (ख) के कॉलम (4) में उल्लिखित पदों के लिए, समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन:- प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय के प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के उप-खण्डों के अधीन जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया है;
- (4) समिति ऐसे अंतरालों से बैठक करेगी जैसाकि नियुक्ति प्राधिकारी निर्देश दें, परन्तु समिति सामान्यतः वर्ष में कम से कम दो बार बैठक अवश्य करेगी।

17. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्त:-

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई पदोन्नति नीति के उपबंधों के अनुसार समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर उतने वर्षों की सेवा, (चाहे स्थानापन्न रूप से या मूल रूप में) पूर्ण कर ली थी, जैसाकि अनुसूची-चार (ख) के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु, इस नियम के अधीन किसी कनिष्ठ व्यक्ति को केवल उनकी अर्हकारी सेवा की कालावधि पूर्ण करने के आधार पर अपने से वरिष्ठ व्यक्ति से पहले विचार नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति:- संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय समिति आहुत की जाती है, एक जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना उस केलेण्डर वर्ष के प्रारंभ से की जायेगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जाएगी।

18. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना:-

- (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो नियम-16 एवं 17 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया हो। सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण विद्यमान तथा संभावित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी। प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक रक्षित सूची भी उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी।
- (2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए चयन, वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगी।
- (3) सूची में सम्मिलित किए गए अधिकारियों के नाम ऐसी चयन-सूची के तैयार करते समय अनुसूची-चार (ख) के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे।
स्पष्टीकरण:- ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिन्हें चयन सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्पूर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं करेंगे।
- (4) इस प्रकार तैयार की गयी सूची को गुण दोष के आधार पर प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा। यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

18-चयन सूची :-

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी/सरकार द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार (ख) के कॉलम (3) में दर्शाये अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन-सूची होगी। चयन सूची जब तक कि नियम 18 के उपनियम (4) के अनुसार

उसका पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण नहीं किया जाता, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी :
परन्तु, चयन सूची में सम्मिलित किये गये किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर, चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तन की जानकारी समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों को, यदि कोई हो, विचार में लेने के पश्चात् सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायसंगत तथा उचित हों, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।
- (3) पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि में कार्य सन्तोषजनक नहीं पाए जाने पर सरकार द्वारा ऐसी कालावधि को एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके उपरान्त कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर पदोन्नति से वंचित किया जा सकेगा। इस संबंध में सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।
- (4) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों को मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा संवर्ग में नियुक्ति होने पर वरीयता के उसी क्रम में रखा जाएगा जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में आए हों।

20. आयोग से परामर्श :-

समिति की अनुशंसा के संबंध में यह समझा जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 की धारा (3) की उपधारा (ख) के अनुसार आयोग के साथ परामर्श कर लिया गया है और आयोग के साथ पृथक से कोई परामर्श अपेक्षित नहीं है।

21. निर्वचन :-

यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

22. शिथिलीकरण :-

इन नियमों में दी गयी किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो उसको उचित और

न्यायसंगत प्रतीत होती हो, परन्तु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

23. व्यावृत्ति :

इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

24. निरसन :-

इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पहले लागू सभी नियम इसके द्वारा इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के सम्बन्ध में निरसित किये जाते हैं परन्तु, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार जैन, उपसचिव.

**अनुसूची-एक
(नियम-5, देखिए)**

विभाग/सेवा का नाम	अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम एवं वर्गीकरण श्रेणी	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या			
				संवर्गीय पद	असंवर्गीय पद	प्रशिक्षण/अवकाश रक्षित पद	कुल पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वित्त विभाग मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा		अधिसमय वेतनमान राजपत्रित प्रथम श्रेणी 1 संचालक 2 वित्तीय सलाहकार	छठवा वेतनमान (रु. 37400-67000 ग्रेड-पे 8900) सातवा वेतनमान पे लेवल-16 129700-214300	09	04	01	14
		वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान राजपत्रित प्रथम श्रेणी 1 अपर संचालक	छठवा वेतनमान (रु. 37400-67000 ग्रेड-पे 8700) सातवा वेतनमान पे लेवल-15 123100 से 215900	14	18	02	34
		प्रवर श्रेणी वेतनमान राजपत्रित प्रथम श्रेणी 1 संयुक्त संचालक, वित्त 2 मुख्य लेखा अधिकारी 3 बजट अधिकारी	छठवा वेतनमान (रु. 15600-39100 ग्रेड-पे 7600) सातवा वेतनमान पे लेवल-14 79900 से 211700	64	32	05	101
		वरिष्ठ वेतनमान राजपत्रित प्रथम श्रेणी 1 वरिष्ठ कोषालय अधिकारी 2 उपसंचालक 3 वरिष्ठ लेखा अधिकारी 4 प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला 5 मुख्य लेखा अधिकारी	(रु. 15600-39100 ग्रेड-पे 6600) छठवा वेतनमान सातवा वेतनमान पे लेवल-13 67300 से 206900	134	40	09	183
		कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान राजपत्रित द्वितीय श्रेणी 1 सहायक संचालक 2 जिला कोषालय अधिकारी 3 अतिरिक्त कोषालय अधिकारी 4 लेखा अधिकारी	छठवा वेतनमान (रु. 15600-39100 ग्रेड-पे 5400) सातवा वेतनमान पे लेवल-12 56100 से 177500	264	79	15	358
				485	173	32	690

टीप-

- (1) नियम-6 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपबंधों के अनुसार मध्यप्रदेश वित्त सेवा संवर्ग में अधिकारियों की नियुक्ति कुल स्वीकृत पदों की संख्या के अनुपात से अधिक नहीं होगी।

(2) सेवा में निम्नलिखित संवर्गीय पद होंगे:-

(क) अधिसमय वेतनमान (रु. 37400-67000 ग्रेड-पे 8900) सातवां वेतनमान लेवल 16 (संवर्गीय पद)

अनुक्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या
01	संचालक, पेंशन, बीमा एवं भविष्य निधि, भोपाल	1
02	संचालक, संचालनालय, कोष एवं लेखा	1
03	वित्तीय सलाहकार, स्कूल शिक्षा विभाग	1
04	वित्तीय सलाहकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	1
05	वित्तीय सलाहकार, लोक निर्माण विभाग,	1
06	वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग	1
07	वित्तीय सलाहकार, वन विभाग	1
08	वित्तीय सलाहकार, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	1
09	वित्तीय सलाहकार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1
10	संचालक, प्रशिक्षण रक्षित/अवकाश रक्षित संचालनालय, कोष एवं लेखा	1
योग		10

(ख) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी (37400-67000 ग्रेड-पे 8700) सातवां वेतनमान लेवल 15 (संवर्गीय पद)

अनुक्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या
01	अपर संचालक, पेंशन संचालनालय, भोपाल।	1
02	वित्तीय सलाहकार, आदिन जाति कल्याण विभाग, भोपाल।	1
03	अपर संचालक, संचालनालय कोष एवं लेखा, भोपाल	2
04	वित्तीय सलाहकार, उर्जा विभाग	1
05	अपर संचालक, प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	1
06	अपर संचालक, पुलिस मुख्यालय भोपाल	1
07	अपर संचालक, कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, भोपाल	1
08	अपर संचालक (आडिट प्रकोष्ठ), संचालनालय कोष एवं लेखा,	1
09	वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल	1
10	अपर संचालक, वित्त, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल	1
11	अपर संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मुख्यालय, भोपाल	1
12	अपर संचालक, कार्यालय प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल	1
13	अपर संचालक, आर.सी.पी.वी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल।	1
14	अपर संचालक, (प्रशिक्षण रक्षित/अवकाश रक्षित) संचालनालय कोष एवं लेखा	2
योग		16

(ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान (15600-39100 ग्रेड-पे 7600) सातवां वेतनमान लेवल 14 (संवर्गीय पद)

अनुक्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या
01	संयुक्त संचालक, कार्यालय आबकारी आयुक्त, ग्वालियर	1
02	संयुक्त संचालक, आयुक्त सह-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, भोपाल	1
03	संयुक्त संचालक, आयुक्त कार्यालय भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर	1
04	संयुक्त संचालक, संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल	1
05	संयुक्त संचालक, कार्यालय महानिदेशक, जेल मुख्यालय, भोपाल	1
06	संयुक्त संचालक, संचालनालय उद्योग एवं रोजगार, भोपाल	1
07	संयुक्त संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, भोपाल	8
08	संयुक्त संचालक, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, भोपाल	1
09	संयुक्त संचालक, संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएँ, भोपाल	1
10	संयुक्त संचालक, कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर	1
11	संयुक्त संचालक, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल	1
12	संयुक्त संचालक, कार्यालय आयुक्त सामाजिक न्याय, भोपाल	1
13	मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल	1
14	बजट अधिकारी, म.प्र उच्च न्यायालय, जबलपुर	1
15	संयुक्त संचालक, संचालनालय पंचायती राज, भोपाल	1
16	संयुक्त संचालक, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल	1
17	संयुक्त संचालक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, ग्वालियर	1
18	संयुक्त संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल	1
19	संयुक्त संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संचालनालय, भोपाल	1
20	संयुक्त संचालक, विकास आयुक्त, भोपाल	1
21	संयुक्त संचालक, कार्यालय आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग, संचालनालय, भोपाल	1
22	संयुक्त संचालक, उद्यानिकी संचालनालय, भोपाल	1
23	संयुक्त संचालक, संचालनालय लोक शिक्षण, भोपाल	1
24	संयुक्त संचालक, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल	1
25	संयुक्त संचालक, संचालनालय आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल	1
26	संयुक्त संचालक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल, भोपाल	1
27	संयुक्त संचालक, कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल	1
28	संयुक्त संचालक, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण पी.आई.यू. भोपाल	1
29	संयुक्त संचालक, कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास, भोपाल	1
30	संयुक्त संचालक, कार्यालय संचालनालय कोष एवं लेखा, भोपाल	3
31	ऑडिट प्रकोष्ठ, आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल	11
32	क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल	7
33	संयुक्त संचालक, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, जबलपुर (संचालनालय कौशल विकास जबलपुर)	1
34	संयुक्त संचालक, संचालनालय लोक स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल	1
35	संयुक्त संचालक, संचालनालय होम्योपैथी एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति, भोपाल	1
36	संयुक्त संचालक, कार्यालय आयुक्त, संस्थागत वित्त, भोपाल	1
37	संयुक्त संचालक, संचालनालय कृषि विकास एवं किसान कल्याण, भोपाल	1
38	संयुक्त संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल	1
39	संयुक्त संचालक, कार्यालय आयुक्त उद्योग (ट्रायफेक), भोपाल	1
40	संयुक्त संचालक, (प्रशिक्षण रक्षित/अवकाश रक्षित पद) संचालनालय कोष एवं लेखा, भोपाल	5
	योग -	69

(घ) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (15600-3900 ग्रेड-पे 6600) सातवां वेतनमान लेवल 13 (संवर्गीय पद)

अनुक्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या
01	उप संचालक, संचालनालय, हाथकरघा, भोपाल	1
02	उप संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल	1
03	उप संचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना, (एन.सी.सी.) संचालनालय, भोपाल	1
04	उप संचालक, संचालनालय, रेशम, भोपाल	1
05	वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला/नगर कोषालय	56
06	वरिष्ठ लेखाधिकारी, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल	1
07	उप संचालक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल	1
08	उप संचालक, संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, भोपाल	2
09	उप संचालक, संचालनालय खेल एवं युवक कल्याण, भोपाल	1
10	उप संचालक, उर्जा विभाग, भोपाल।	1
11	उप संचालक, (प्रशासनिक अधिकारी), चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, सागर एवं भोपाल।	6
12	प्राध्याप्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, भोपाल	1
13	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल	1
14	उप संचालक, (ऑडिट प्रकोष्ठ) कार्यालय संचालनालय, कोष एवं लेखा, भोपाल	33
15	उप संचालक, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर	3
16	उप संचालक, संचालनालय कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल।	6
17	उप संचालक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल	1
18	उप संचालक, लोकायुक्त, कार्यालय	1
19	उप संचालक, संचालनालय जनसंपर्क, भोपाल	1
20	उप संचालक, आयुक्त पुरातत्व विज्ञान अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल	1
21	उप संचालक, संचालनालय आर्थिक एवं सांख्यिकी, भोपाल	1
22	उप संचालक, कार्यालय नियंत्रक लेखन तथा मुद्रण, भोपाल	1
23	उप संचालक, संचालनालय गैस राहत, भोपाल	1
24	उप संचालक, कार्यालय आयुक्त, पर्यटन, भोपाल	1
25	उप संचालक, गृह विभाग मंत्रालय, भोपाल	1
26	उप संचालक, राहत आयुक्त कार्यालय, भोपाल।	1
27	उप संचालक, संचालनालय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, भोपाल	1
28	उप संचालक, संचालनालय टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग, भोपाल	1
29	उप संचालक, संचालनालय उच्च शिक्षा, भोपाल	1
30	उप संचालक, संचालनालय विमानन विभाग, भोपाल	1
31	उप संचालक, संचालनालय पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल	1
32	उप संचालक, संचालनालय होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा, जबलपुर	1
33	उप संचालक, कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल	1
34	उप संचालक, लोक सेवा आयोग, इन्दौर	1
35	उप संचालक, (प्रशिक्षण रक्षित/अवकाश रक्षित) संचालनालय कोष एवं लेखा, भोपाल	9
	कुल पदों की संख्या	143

(ड) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (15600-39100 ग्रेड-पे 5400) सातवां वेतनमान लेवल 12 (संवर्गीय पद)

अनुक्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या
01	सहायक संचालक, संचालनालय कोष एवं लेखा, भोपाल	12
02	लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन (ई एण्ड एम), भोपाल	1
03	प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शालाये म0प्र0, सहायक संचालक, लेखा प्रशिक्षण शाला,	6
04	लेखाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल	1
05	सहायक संचालक, संचालनालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल	1
06	सहायक संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल	2
07	सहायक संचालक, कार्यालय आयुक्त ग्रामीण विकास, भोपाल	1
08	सहायक संचालक कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल	1
09	सहायक संचालक, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन, भोपाल	1
10	सहायक संचालक, संचालनालय कृषि विकास एवं किसान कल्याण, भोपाल	1
11	लेखा अधिकारी, कार्यालय, मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल	1
12	सहायक संचालक, कार्यालय आयुक्त सह-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, भोपाल	1
13	सहायक संचालक, संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल	1
14	सहायक संचालक, संचालनालय पशु चिकित्सा शिक्षा सेवाएं भोपाल	1
15	लेखाधिकारी, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर	1
16	सहायक संचालक, संचालनालय पंचायती राज, भोपाल	1
17	लेखाधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण पी.आई.यू., भोपाल	1
18	लेखाधिकारी, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन सह सं.सं. सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल	1
19	लेखाधिकारी, आर0सी0व्ही0पी0 नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल	1
20	लेखाधिकारी, महिला एवं बाल विकास संचालनालय, भोपाल	1
21	लेखाधिकारी, मुख्य तकनीकी परीक्षक, भोपाल	1
22	लेखाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल	1
23	लेखाधिकारी, महानिदेशक जेल मुख्यालय, भोपाल	1
24	लेखाधिकारी, श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर	1
25	लेखाधिकारी, संचालनालय राज्य कर्मचारी बीमा, इन्दौर	1
26	लेखाधिकारी, राज्य योजना मंडल, भोपाल	1
27	लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, भोपाल तथा ग्वालियर	2
28	लेखाधिकारी, संचालनालय, मत्स्योद्योग, भोपाल	1
29	लेखाधिकारी, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, भोपाल	1
30	लेखाधिकारी, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, जबलपुर	1
31	लेखाधिकारी, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, भोपाल, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रीवा, इंदौर	5
32	लेखाधिकारी, कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर	1
33	लेखाधिकारी, संचालनालय लोक स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल (07 संभाग स्तर सहित)	9
34	लेखाधिकारी, कार्यालय आयुक्त महिला सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल	1
35	लेखाधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण भोपाल, (संभाग स्तर)	5
36	लेखाधिकारी, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल	1

37	लेखाधिकारी, कार्यालय परिवहन आयुक्त, ग्वालियर	1
38	लेखाधिकारी, संचालनालय संस्कृति, भोपाल	1
39	लेखाधिकारी, भाड़ा नियंत्रक, प्राधिकारी पी0डब्ल्यू0डी0, भोपाल	1
40	लेखाधिकारी, लोक सेवा आयोग, इन्दौर	1
41	लेखाधिकारी, संचालनालय उद्यानिकी, भोपाल	1
42	सहायक संचालक, क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, म0प्र0, (प्रत्येक संभाग में 04)	28
43	अतिरिक्त कोषालय अधिकारी, (जिला भोपाल, विन्ध्याचल, वल्लभ भवन, ग्वालियर नगर, ग्वालियर जिला, इंदौर शहर, इंदौर जिला, जबलपुर शहर, जबलपुर जिला, उज्जैन,रीवा, एवं सागर	12
44	सहायक संचालक, ऑडिट प्रकोष्ठ	91
45	लेखाधिकारी, राज्य ओपन स्कूल, भोपाल	1
46	लेखाधिकारी, संचालक/मुख्य अभियंता कार्यालय नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय हेतु	7
47	लेखाधिकारी, राजस्व मंडल, ग्वालियर	1
48	सहायक संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	1
49	सहायक संचालक, संस्थागत वित्त, भोपाल	1
50	सहायक संचालक, संचालनालय, सूचना प्रबंधकीय प्रणाली, भोपाल	1
51	सहायक संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, पेंशन (प्रत्येक संभाग में 03)	21
52	लेखाधिकारी, कार्यालय आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल	1
53	लेखाधिकारी, कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल, बीसीओ-2	1
54	लेखाधिकारी, संचालनालय, उद्योग एवं रोजगार, भोपाल	1
55	लेखाधिकारी, प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल	1
56	लेखाधिकारी, आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, भोपाल	1
57	लेखाधिकारी, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, भोपाल	1
58	लेखाधिकारी, होम्योपैथी एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति, भोपाल	1
59	लेखाधिकारी म0प्र0 राज्य सत्कार कार्यालय, भोपाल	1
60	लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल	1
61	लेखाधिकारी, आबकारी आयुक्त ग्वालियर।	1
62	लेखाधिकारी, आयुक्त भू-अभिलेख, ग्वालियर	1
63	लेखाधिकारी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	1
64	लेखाधिकारी, लोक सेवा प्रबंधन विभाग	1
65	लेखाधिकारी, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग, भोपाल	1
66	लेखाधिकारी, आनंदम विभाग, भोपाल	1
67	लेखाधिकारी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल (वाईल्ड लाईफ)	1
68	लेखाधिकारी, कार्यालय राजस्व आयुक्त, भोपाल	1
69	लेखाधिकारी, कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल	1
70	लेखाधिकारी, संचालनालय सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम कार्यालय एम.एस.एम.ई. भोपाल	1
71	सहायक संचालक, संचालनालय, पेंशन, बीमा एवं भविष्य निधि, भोपाल	6
72	सहायक संचालक, प्रशिक्षण रक्षित/अवकाश रक्षित, संचालनालय कोष एवं लेखा, भोपाल	15
योग -		279

अनुसूची-दो
(नियम-8 देखिये)

सेवा का नाम	अनुक्रमांक	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	कॉलम (4) में दर्शाये गये पदों का प्रतिशत जो सीधी भर्ती/पदोन्नति/चयन द्वारा भरे जायेंगे			अभियुक्तियाँ
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	चयन द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा	1	कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान	358	50%	50%	-	कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति पदों की गणना संवर्ग के पांच स्तरीय वेतनमान में स्वीकृत कुल 690 पदों के आधार पर की जाएगी।
	2	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान	183	-	-	100%	-
	3	प्रवर श्रेणी वेतनमान	101	-	-	100%	-
	4	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान	34	-	-	100%	-
	5	अधिसमय वेतनमान	14	-	-	100%	-
	6	कुल पदों की संख्या	690	-	-		

अनुसूची-तीन
(नियम-8 देखिये)

सेवा का नाम	अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा	1	कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान सहायक संचालक	21 वर्ष	-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि	-

**अनुसूची-चार (क)
(नियम 15 देखिये)**

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम जिससे चयन किया जाना है	पद का नाम जिस पद पर चयन किया जाना है	चयन के लिये अपेक्षित सेवा की कुल अवधि (5)	विभागीय चयन समिति के सदस्यों के नाम (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	म.प्र.राज्य वित्त सेवा	मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (सहायक संचालक)	म.प्र. राज्य वित्त सेवा वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (उप संचालक)	08 वर्ष	1 अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वित्त-अध्यक्ष. 2 अपर सचिव, वित्त-सदस्य. 3 अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग-सदस्य. 4 आयुक्त, कोष एवं लेखा-सदस्य 5 अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी-सदस्य.
म.प्र. राज्य वित्त सेवा	मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा	मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (उप संचालक).	म.प्र. राज्य वित्त सेवा प्रवर श्रेणी वेतनमान (संयुक्त संचालक).	04 वर्ष	1 अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वित्त-अध्यक्ष. 2 अपर सचिव, वित्त-सदस्य. 3 अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग-सदस्य. 4 आयुक्त, कोष एवं लेखा-सदस्य. 5 अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी-सदस्य.
म.प्र.राज्य वित्त सेवा	मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा	मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा प्रवर श्रेणी वेतनमान (संयुक्त संचालक).	म.प्र. राज्य वित्त सेवा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (अपर संचालक).	05 वर्ष	1 अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त-अध्यक्ष. 2 सचिव, वित्त-सदस्य. 3 अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग-सदस्य. 4 आयुक्त, कोष एवं लेखा-सदस्य. 5 अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी-सदस्य.
म.प्र. राज्य वित्त सेवा	मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा	मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (अपर संचालक).	म.प्र. राज्य वित्त सेवा अधिसमय वेतनमान (संचालक)	05 वर्ष	1 अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त-अध्यक्ष. 2 सचिव, वित्त-सदस्य. 3 अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग-सदस्य. 4 आयुक्त, कोष एवं लेखा-सदस्य. 5 अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी-सदस्य.

अनुसूची-चार (ख)
(नियम 16, 17 एवं 18 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति किया जाना है	पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति किया जाना है	पदोन्नति के लिये अपेक्षित सेवा की कुल अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा	अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी	म.प्र. राज्य वित्त सेवा कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (सहायक संचालक)	05 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1 अध्यक्ष, म.प्र. लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य- अध्यक्ष 2 प्रमुख सचिव/ सचिव वित्त-सदस्य. 3 आयुक्त, कोष एवं लेखा-सदस्य. 4 अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी-सदस्य.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 6th October 2018

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following rules for regulating the recruitment and condition of service of persons appointed to the State finance Gazetted Services and posts, namely :-

RULES

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh State Finance Service (Gazetted) Recruitment and Conditions of service Rules, 2018.
- (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.-

In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Appointing Authority" means the Government or the authority empowered to make a recruitment to this services or post;
- (b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;
- (c) "Commissioner" means the Commissioner, Treasuries and Accounts, Madhya Pradesh;
- (d) "Committee" means the Departmental Promotion committee as mentioned in column (6) of Schedule-IV (b);
- (e) "Examination" means competitive examination conducted for recruitments under the provisions of rule 11;
- (f) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (g) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (h) "Member of Service" means a person appointed in a substantive capacity under the provisions of these rules or of the rules and orders in force before the commencement of these rules, to a post in the cadre of the Service;
- (i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26 December, 1984, as amended from time to time;
- (j) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
- (k) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of, or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with

respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;

- (l) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of, or group within such tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (m) "Service" means the Madhya Pradesh State Finance Services;
- (n) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. Scope and Application.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Condition of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the Service.-

The Service shall consist of the following persons, namely:-

- (1) Person recruited to the service before the commencement of these rules, and
- (2) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, Pay Scales etc.-

- (1) The classification of the Service, pay scale and the number of posts included in the Service shall be as specified in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the Service either on permanent or temporary basis.

- (2) No member of the Service shall be entitled to compensation in consequence of any change in the structure of the Service or in the event of Government leaving unfilled or holding in abeyance a vacant post in the cadre.

6. Method of recruitment.-

- (1) Recruitment to the Service after the commencement of these rules shall be made by the following methods, namely:-

- (a) By direct recruitment, by selection through the competitive examination.
- (b) By promotion, from the members of the Madhya Pradesh Subordinate Accounts Service:

Provided that the number of persons recruited under this clause shall not be more than the percentage specified in the column (6) of Schedule-II.

- (c) By absorption from other posts or services as the State Government specifies from time to time. On absorption, posts shall be filled on rotational basis in the ratio of 1:1 from clause (a) and (b). Rotation shall start with the post provided in clause (b).

- (2) Subject to the provisions of these rules, the method for the purpose of filling any specific vacancy in the service as may be required during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method on each occasion shall be determined by the Government/Appointing Authority in consultation with the Commission.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so requires, then the Government may with the prior concurrence of the General Administration Department and in consultation with the commission adopt such method of recruitment to the service, other than those specified in the said sub rule.
7. **Appointment in service.**- All appointments to the service after coming into force of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except by one of the methods of recruitment specified in rule 6.
8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**- In order to be eligible for direct recruitment, a candidate must fulfil the following conditions, namely:-
- (1) **Age-** The minimum age, maximum age and relaxation in maximum age limit shall be that as determined by the Government as per the circular issued by the General Administration Department, from time to time.
- (2) **Educational Qualification.-**
- Candidates must possess educational and other qualifications as prescribed for the service/post in Schedule III:
- Provided that in exceptional cases the Commission/ Appointing Authority, may treat any candidate as qualified who though not possesses any qualification prescribed in this clause, has passed such examinations conducted by any other institute by such a standard which in the opinion of Appointing Authority, justifies consideration of the candidate shall be eligible for the examination/Selection.
- (3) **Fee.-**
- The Candidate shall have to pay the fee prescribed by the Appointing Authority/Commission/Government, as revised from time to time.
9. **Disqualification.-**
- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held him disqualify for appearing in the examination/selection by the Appointing Authority/Commission.
- (2) Any candidate, who got married before the prescribed minimum age for marriage, shall be disqualified for appointment in the service or post.

- (3) Any candidate who has more than two living children, one of them was born after 26th January, 2001, shall be disqualified for appointment to the service or post, provided that the second child is not twin.
- (4) Any candidate who has been convicted for any offence against woman shall be disqualified for appointment in the service whereas, if criminal proceedings are pending in a court, his appointment shall be kept on hold until disposal of the criminal proceedings.
- (5) Any male candidate, having more than one living wife and any female candidate who married to a person who already has a living wife, shall be disqualified for the service.
- (6) Any other reason, as prescribed by the State Government.

10. Decision regarding eligibility.- The Decision of the Appointing Authority/Commission regarding the eligibility of a candidate for admission to examination/interview shall be final and no candidate who has been disqualified shall be admitted to the examination/interview.

11. Direct recruitment by competitive examination.-

- (1) A competitive examinations for the recruitment to the service shall be held at such intervals, as the Government, from time to time, may determine in consultation with the Commission. Examination shall be conducted in accordance with the orders as issued by the Government.
- (2) For direct recruitment, as per the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Rules, 1998 the reservation of 16 percent posts for Scheduled Castes, 20 percent posts for Scheduled Tribes and 14 percent posts for Other Backward Classes candidates shall be reserved. Out of the available vacancies in the post shall also be reserved for women candidates in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (3) In filling vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 13 without considering their relative position in comparison to other candidates.
- (4) If sufficient numbers of candidates belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes candidates are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled by other candidates in any way.
- (5) The provisions for reservation for physically challenged persons as declared by the Government shall be horizontal and compartment-wise.

- 12. List of candidates recommended by the Commission.-** (1) The commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of candidates who have qualified by such standards as fixed by it and of the candidates who belong to Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard, but are declared by the Commission to be suitable for the appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.
- (2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
- (3) Inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such an enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
- (4) The select list issued by the Commission shall remain valid for a period of one year from the date of issue and may be extended for a period of another 6 months with the consent of Commission.
- 13. Probation and training.-** Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years. During the probation period, a prescribed training shall be imparted in specified training institutions and outfits. Probation period may be extended if the candidate fails to attain prescribed standards in the training. Failure to qualify in the prescribed examination and training by prescribed standard, as may be conducted, from time to time, may entail extension of probation period and even discharge from service.
- 14. Pay during probation.-** An officer appointed to the service by direct recruitment shall draw a pay at the minimum of the pay scale during the period of probation. He shall be eligible to draw the first increment only after passing the Departmental Examination. If an increment of an officer is withheld on account of his failure to pass the departmental examination the same shall be allowed to him on passing such examination from the first day of the month of January/July following the month in which the examination concerned is held and the period during which the increment is withheld shall be counted for increment in the time scale.
- 15. Eligibility criteria for appointment to senior grade, selection grade, senior selection grade, super time scale of Madhya Pradesh Finance**

Service.- (1) Only those officers working in Junior pay scale, Senior pay scale, Selection pay scale and Senior Selection pay scale, shall be eligible for appointment in higher pay scale of the service to be considered by the Selection Committee prescribed in the column 6 of Schedule IV (a) and who have completed specified period in service as prescribed in column 5 of Schedule IV (a) on first day of January.

Explanation: Method for computation of eligibility for selection-

The computation of qualifying service shall be calculated in the relevant year in which the departmental committee is convened. The period of qualifying service on 1st January shall be calculated from beginning of the calendar year in which the public servant came into the feeder cadre / part of the service / pay scale of post and shall not be calculated from the date in which he joined the cadre / part of service / pay scale of post. However, any junior member of the service on the basis of years of service completed by him under these rules, shall not be eligible for appointment before a senior person in a higher pay scale of service.

- (2) If the Appointing Authority considers it necessary to amend the list received from the Committee, then he shall intimate the proposed change to the Committee and after considering the comments of the committee, if any, shall approve the list with such amendments, as he declares appropriate and justified.
- (3) The basis of selection shall be "seniority cum merit". The selection list as above shall be prepared keeping in mind the vacancies arising for the next one year; after the approval by the State Government, appointment shall be made from the approved selection list to the higher pay scales of service on the basis of available post.

16. Appointment by promotion:-

- (1) A Promotion Committee shall be constituted, consisting the members mentioned in column (6) of Schedule IV (b) for promotion of eligible members of the service.
- (2) The Committee shall consider the case of all persons for the posts mentioned in column (4) of Schedule IV (b), from the post mention in column (3) of the respective row. as per the instructions issued by General Administration Department from time to time.
- (3) Certification by Appointing Authority.- Appointing Authority shall endorse a certificate to the effect that the promotion order complies with the Madhya Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Tribes and Other

- Backward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions under the provisions of the rules issued by General Administration Department, from time to time.
- (4) The Committee shall meet at such intervals as directed by the Appointing Authority, but the committee ordinarily shall meet at least twice in a year.

17. Conditions of eligibility for promotion. -

- (1) The Committee shall consider the case of all persons in accordance with provisions of promotion policy issued by the Government from time to time, who on the 1st day of January of that year have completed the number of years (whether officiating or substantive) of service as mentioned in column (5) of Schedule-IV(b):

Provided that no person junior in service shall be considered for promotion only on the basis of completing the qualifying length of service prior to that of his seniors.

Explanation: -Method for computation of eligibility for promotion.-The computation of qualifying service shall be calculated in the relevant year, in which the meeting of the Committee is convened, the period of qualifying service on 1st January shall be calculated from the beginning of the calendar year in which the public servant came into the feeder cadre / part of the service / pay scale and shall not be calculated from the date of commencement in the cadre / part of service/ pay scale of post.

- 18. Preparation of list of suitable candidates.**-(1) The committee shall prepare a list of such persons who fulfil the conditions prescribed in rule 16 and 17, and are held suitable by the Committee for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the existing and anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserved list equivalent to 25% of anticipated vacancies shall be prepared to fulfil the unforeseen vacancies occurring, during the course of aforesaid period.

- (2) Selection for including names in such a list shall be based on merit with proper consideration of seniority and suitability in all respects.
- (3) The names of the officers included in the list shall be arranged in an order of seniority as specified in column (3) of Schedule IV (b) at the time of preparation of such select list.

Explanation: A person, whose name is included in the select list but is not promoted during the validity of the list shall have no claim to the seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

- (4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year on the basis of merit. If in the process of selection, review or revision, as the case may be, it

is proposed to supersede any member of the Service, the Committee shall record its reasons for the proposed suppression.

19. Select List.- (1) The list as finally approved by the Appointing Authority/Government shall form the select list for promotion of the members of Service from the post mentioned in column (3) of Schedule-IV (b). The select list shall be valid for a period of one year unless its review or revision takes place under sub-rule (4) of rule 18. In any case the validity shall not be extended beyond a period of 18 months in total from the date of approval:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list a special review in the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Committee may, if it thinks fit, May remove the name of such member from the select list.

(2) If the Appointing Authority considers it necessary to make any change in the list received from the Committee, then it shall intimate the proposed change to the Committee and after taking into account the comments, if any, may approve the list finally with such modifications if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) Every person appointed to the service by promotion shall be appointed on the trial for a period of two years. if the work is not found satisfactory in the trial period, the Government may extend the period up to one year. After this period, if the work is not found satisfactory, he may be deprived from promotion. Decision of Government in this regard shall be final.

(4) Appointment of the person included in the select list to the Madhya Pradesh Finance Service Cadre shall follow the order in which the names of such member appear in the select list.

20. Consultation with Commission.- In relation to the recommendation of the Committee, it shall be deemed to have consulted the Commission as per sub-section (b) of section (3) of the Article 320 of the Constitution, and no separate consultation is required with the Commission.

21. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

22. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such a manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

23. Saving.- Nothing in these rules shall adversely affect reservations and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes

and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time in this regard.

24. Repeal.- All rules corresponding to these rules and in force immediately before commencement of these rules are hereby repealed and in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
MANOJ KUMAR JAIN, Dy. Secretary.

SCHEDULE-I
(See rule- 5)

Name of Department/ Service	Serial Number	Name of post included in service and Classification/Classes	Classification of post and their Pay Scale	Total number of Sanctioned Post			
				Cadre Post	Non-Cadre Post	Training / Leave Reserve Post	Total Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Finance Department/ Madhya Pradesh Finance Service	01. 02. 03.	Super Time Pay Scale Gazetted First Class (2% of Total post) Director Financial Advisor Finance Controller	Sixth Pay Scale (Rs. 37400-67000 Grade-Pay 8900) Seventh Pay Scale Level-16 129700-214300	09	04	01	14
	01 02 03	Senior Selection Gazetted First Class (5% of Total post) Additional Director Financial Advisor Finance Controller	Sixth Pay Scale (Rs. 37400-67000 Grade-Pay 8700) Seventh Pay Scale Level-15 (123100-215900)	14	18	02	34
	01 02 03 04 05	Selection Grade Pay Scale Gazetted First Class (15% of Total post) Joint Director Chief Account officer Budget officer Financial Advisor Finance Controller	Sixth Pay Scale (Rs. 15600-39100 Grade-Pay 7600) Seventh Pay Scale Level-14 (79900-211700)	64	32	05	101
	01 02 03 04 05	Senior Grade Pay Scale Gazetted First Class (26% of Total post) Senior Treasury Officer Deputy Director Senior Accounts Officer Principal, Accounts Training School Chief Accounts officer	Sixth Pay Scale (Rs. 15600-39100 Grade-Pay 6600) Seventh Pay Scale Level-13 (67300-206900)	134	40	09	183
	01 02 03 04	Junior Grade Pay Scale Gazetted Class-II (52% of Total post) Assistant Director District Treasury Officer Additional Treasury Officer Accounts Officer	Sixth Pay Scale (Rs. 15600-39100 Grade-Pay 5400) Seventh Pay Scale Level-12 (56100-177500)	264	79	15	358
Total				485	173	32	690

Note:- (1)

As per the provisions in clause (b) of Sub Rule (1) of Rule - 6, the appointment of Officer in Madhya Pradesh Finance Service Cadre shall not exceed the ratio of total numbers of sanctioned posts.

2) There shall be following cadre posts:-

**(A) SUPER TIME PAY-SCALE (37400-67000 Grade-Pay 8900)
Seventh Pay Scale Level-16 (129700-214300)
(Cadre Post)**

S.No.	Name of Post	No. of Post
1	Director, Pension, Insurance and Provident Fund Bhopal	1
2	Director, Directorate, Treasuries And Accounts, Bhopal	1
3	Financial Advisor, School Education Department	1
4	Financial Advisor, Panchayat and Rural Development Department	1
5	Financial Advisor, Public Works Department	1
6	Financial Advisor, Water Resource Department	1
7	Financial Advisor, Forest Department	1
8	Financial Advisor, Urban Administration and Housing Department	1
9	Financial Advisor, Public health and Family welfare Department	1
10	Director(Training reserve/leave Reserve), Directorate Treasuries and accounts, Bhopal	1
	Total	10

**(B) SENIOR SELECTION GRADE PAY SCALE (37400-67000 Grade-Pay 8700)
Seventh Pay Scale Level-15 (123100-215900)
(Cadre Post)**

S.No.	Name of Post	No. of Post
1.	Additional Director, Directorate of Pension, Bhopal	1
2.	Financial Advisor Secretariat, Tribal Welfare Department, Bhopal.	1
3.	Additional Director, Directorate of Treasuries and Accounts, Bhopal	2
4.	Financial Advisor, Energy Department	1
5.	Additional Director, Chief Engineer, Public Health Engineering Department Bhopal.	1
6.	Additional Director, Police Head Quarter ,Bhopal	1
7.	Additional Director, Office of the commissioner Higher education, Bhopal	1
8.	Additional Director, Audit Wing Directorate of Treasuries and Accounts, Bhopal	1
9.	Financial Advisor,, Woman and Child Development Department, Bhopal	1
10.	Additional Director, (Finance) Rajya Shiksha kendra, Bhopal	1
11.	Additional Director, Narmada Valley Development Authority (NVDA), Bhopal	1
12.	Additional Director, Office of Chief Engineer, Rural Engineering Services, Bhopal	1
13.	Additional Director, RCVP Naronha Administration and Management Academy, Bhopal	1
14.	Additional Director(Training Reserve/Leave Reserve)Directorate of Treasuries and Account, Bhopal	2
	Total	16

**(C) SELECTION GRADE PAY SCALE (15600-39100 Grade-Pay 7600)
Seventh Pay Scale Level-14 (79900-211700)
(Cadre Post)**

S.No.	Name of Post	No. of Post
1.	Joint Director, Office of the Excise Commissioner, Gwalior.	1
2.	Joint Director, Office of the Commissioner-cum- Registrar Co-operative Societies, Bhopal	1
3.	Joint Director, Office of the Commissioner, Land Record and Settlement, Gwalior	1
4.	Joint Director, Directorate of Medical Education, Bhopal	1
5.	Joint Director, Office of the Director General, Jail Headquarter, Bhopal	1
6.	Joint Director, Directorate of Industry and Employment, Bhopal	1
7.	Joint Director, Pension, Insurance and Provident Fund, Bhopal	8
8.	Joint Director, Directorate of Technical Education, Bhopal	1
9.	Joint Director, Directorate of Veterinary Services, Bhopal	1
10.	Joint Director, Office of the Commissioner, Commercial Taxes, Indore	1
11.	Joint Director, State Election Commission, Bhopal	1
12.	Joint Director, Office of the Commissioner, Social Justice, Bhopal	1
13.	Chief Accounts Officer, Mantralay, Bhopal	1
14.	Budget Officer, Madhya Pradesh High Court, Jabalpur	1
15.	Joint Director, Directorate of Panchayati Raj, Bhopal	1
16.	Joint Director, Office of the Chief Engineer, Public Works Department, Bhopal	1
17.	Joint Director, Office of the Transport Commissioner, Gwalior	1
18.	Joint Director, Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Bhopal	1
19.	Joint Director, Office of the Micro, Small and Medium Venture, Bhopal	1
20.	Joint Director, Development Commissioner, Bhopal	1
21.	Joint Director, Directorate of Woman and Child Development, Bhopal	1
22.	Joint Director, Horticulture Directorate Bhopal	1
23.	Joint Director, Directorate of Public Instructions, Bhopal.	1
24.	Joint Director, Chief Engineer, Water Resource Department	1
25.	Joint Director, Directorate of Tribal Welfare Department, Bhopal	1
26.	Joint Director, Office Of the Principal Chief Conservator of Forest, (Forest Force) Bhopal	1
27.	Joint Director, Principal Revenue Commissioner, Bhopal	1
28.	Joint Director, Office of the Engineer, Public Works P.I.U., Bhopal	1
29.	Joint Director, Office of the Commissioner Tribal Development, Bhopal	1
30.	Joint Director, Office of the Directorate of Treasuries and Accounts, Bhopal	3
31.	Audit Wing, Office of the Commissioner Treasuries and Accounts, Bhopal	11
32.	Regional Joint Director, Treasuries and Accounts, Bhopal	7
33.	Joint Director, Directorate of Employment and Training Jabalpur (Directorate of Skill Development, Jabalpur)	1
34.	Joint Director, Public Health Services, Bhopal	1
35.	Joint Director, Directorate Homeopathy and Indian Medical System, Bhopal	1
36.	Joint Director, Office of the Commissioner Institutional Finance, Bhopal	1
37.	Joint Director, Directorate of Agriculture Development and Farmer Welfare, Bhopal	1
38.	Joint Director, Directorate of Urban Administration and Development, Bhopal	1
39.	Joint Director, Office of the Commissioner Industries (Trifec), Bhopal	1
40.	Joint Director, Training Reserve/Leave Reserve Directorate of Treasuries and Accounts, Bhopal.	5
	Total	69

**Senior Scale (15600-39100 Grade-Pay 6600)
Seventh Pay Scale Level-13 (67300-206900)
(Cadre Post)**

S.No.	Name of Post	No. of Post
1.	Deputy Director, Directorate of Handloom, Bhopal	1
2.	Deputy Director, RCVP Naronha Academy of Administration and Management, Bhopal	1
3.	Deputy Director, Directorate of N.C.C., Bhopal	1
4.	Deputy Director, Directorate of Sericulture, Bhopal	1
5.	Senior Treasury Officer, District/City Treasury	56
6.	Senior Accounts Officer, Department of Law and Legislature, Bhopal	1
7.	Deputy Director, Office of the Chief Conservator of Forest, Bhopal (BCO-1 Plan and Wild Life)	1
8.	Deputy Director, Directorate of Pension, Provident Fund and Insurance, Bhopal	2
9.	Deputy Director, Sports and Youth Welfare, Bhopal	1
10.	Deputy Director, Department of Energy, Bhopal	1
11.	Deputy Director, (Administrative Officer), Medical College, Indore, Gwalior, Rewa, Jabalpur, Sagar and Bhopal	6
12.	Principal, Accounts Training School, Bhopal	1
13.	Senior Account Officer, Narmada Vally Development Authority, Bhopal	1
14.	Deputy Director (Audit Wing), Directorate of Treasuries and Accounts, Bhopal	33
15.	Deputy Director, Office of Divisional Joint Director Treasuries and Accounts Bhopal, Indore, Jabalpur.	3
16.	Deputy Director, Directorate of Treasuries and Accounts, Bhopal	6
17.	Deputy Director, State (Bureau) of Investigation of Economic Offences, Madhya Pradesh	1
18.	Deputy Director, Office of the Lokayukta	1
19.	Deputy Director, Directorate Public Relation, Bhopal	1
20.	Deputy Director, Commissioner, Archaeology, Archives and Museums Madhya Pradesh	1
21.	Deputy Director, Directorate of Economic and Statistics, Bhopal	1
22.	Deputy Director, Office of Controller Stationary and Printing, Bhopal	1
23.	Deputy Director, Directorate of Gas Rahat, Bhopal	1
24.	Deputy Director, Office of Commissioner, Tourism, Bhopal	1
25.	Deputy Director, Home Department, Bhopal	1
26.	Deputy Director, Relief Commissioner Office, Bhopal	1
27.	Deputy Director, Directorate of Religious Trust and Endowments Department, Bhopal	1
28.	Deputy Director, Directorate of Town and Country planning Bhopal	1
29.	Deputy Director, Directorate of Higher Education, Bhopal	1
30.	Deputy Director, Directorate of Aviation Department, Bhopal	1
31.	Deputy Director, Directorate of Backward class welfare department Bhopal	1
32.	Deputy Director, Directorate of Home Guard And Civil Protection, Jabalpur	1
33.	Deputy Director, Office of the Inspector General, Registrar and Superintendent, Stamps, Bhopal	1
34.	Deputy Director, Public Service Commission, Indore	1
35.	Deputy Director, Training Reserve/Leave Reserve Directorate of Treasuries and Accounts.	9
	Total	143

**Junior Scale (15600-39100 Grade-Pay 5400)
Seventh Pay Scale Level-12 (56100-177500)
(Cadre Post)**

S.No.	Name of Post	No. of Post
1.	Assistant Director, Directorate of Treasuries and Accounts, Madhya Pradesh, Bhopal	12
2.	Account Officer, Office of the Chief Engineer, Water Resources, (E and M), Bhopal	1
3.	Principal, Accounts Training School, Madhya Pradesh (Assistant Director, Accounts Training School)	6
4.	Account Officer, Office of the State Election Commission, Bhopal	1
5.	Assistant Director, Directorate of Food and Civil Supply and Consumer Protection Bhopal.	1
6.	Assistant Director, Directorate of Public Instruction, Bhopal	2
7.	Assistant Director, Office of Commissioner Rural Development, Bhopal	1
8.	Assistant Director, Office of Chief Engineer Public Works Department, Bhopal	1
9.	Assistant Director, Office of Chief Engineer Water Resources, Bhopal	1
10.	Assistant Director, Directorate of Farmer Welfare and Agriculture, Bhopal	1
11.	Accounts Officer, Chief Accounts Officer, Mantralaya, Bhopal	1
12.	Assistant Director, Office of the Commissioner-cum-Registrar Co-Operative Societies, Bhopal	1
13.	Assistant Director, Directorate of Medical Education, Bhopal	1
14.	Assistant Director, Directorate of Veterinary Education Services, Bhopal	1
15.	Accounts Officer, Madhya Pradesh High Court, Jabalpur	1
16.	Assistant Director, Directorate of Panchayati Raj, Bhopal	1
17.	Accounts Officer, Office of the Chief Engineer Public Works, PIU, Bhopal	1
18.	Accounts Officer, SAMGRA Social Security Mission, Department of Social Justice, Bhopal	1
19.	Accounts Officer, RCVP Naronha Academy of Administration and Management, Bhopal	1
20.	Accounts Officer, Directorate of Woman and Child Development, Bhopal	1
21.	Accounts Officer, Office of the Chief Technical Examiner, Bhopal	1
22.	Accounts Officer, Secretariat of Governor, Rajbhawan, Bhopal	1
23.	Accounts Officer, Inspector General, Jail Headquarter, Bhopal	1
24.	Accounts Officer, Office of the Labour Commissioner, Indore	1
25.	Accounts Officer, Directorate of State Employee Insurance, Indore	1
26.	Accounts Officer, State Planning Board, Bhopal	1
27.	Accounts Officer, Office of the Chief Engineer, Public Health Engineering, Bhopal and Gwalior	2
28.	Accounts Officer, Directorate of Fisheries, Bhopal	1
29.	Accounts Officer (Pension), Office of the Commissioner, Higher Education, Bhopal	1
30.	Accounts Officer, Directorate of Employment and Training, Jabalpur	1
31.	Accounts Officer, Directorate Technical Education, Bhopal (Engineering College Jabalpur, Ujjain, Sagar, Rewa, Indore)	5
32.	Account Officer, Office of the Commissioner, Commercial Taxes, Indore	1
33.	Accounts Officer, Directorate of Public Health Services, Bhopal (Including 07 divisions)	9
34.	Accounts Officer Office of the Commissioner Woman Empowerment Directorate, Bhopal	1
35.	Accounts Officer, Office of the Chief Engineer, Public Works, Bhopal (Division Level)	5
36.	Accounts Officer, Directorate Urban Administration and Development, Bhopal	1
37.	Accounts Officer, Office of the Transport Commissioner, Gwalior	1
38.	Accounts Officer, Director of Culture Department, Bhopal	1
39.	Accounts Officer, Office of the Freight Controller Authority, Public Works Department, Bhopal	1
40.	Accounts Officer, Office of the Public Service Commission, Indore	1

41.	Accounts Officer, Directorate of Horticulture, Bhopal	1
42.	Assistant Director, Regional Joint Director Treasuries and Accounts Madhya Pradesh (4 in each division)	28
43.	Additional Treasury Officer (District, Vindhayachal and Vallabh Bhavan Treasury Bhopal, District and City Treasury Jabalpur, Sagar, Rewa, Ujjain, District and City Treasury Indore, Motimahal and Gorkhi Treasury Gwalior)	12
44.	Assistant Director (Audit Wing)	91
45.	Accounts Officer, State Open School, Bhopal	1
46.	Accounts Officer, Narmada Valley Development Authority (for Regional Office)	7
47.	Accounts Officer, Revenue Board, Gwalior	1
48.	Assistant Director, State Education Centre, Bhopal	1
49.	Assistant Director, Institutional Finance, Bhopal	1
50.	Assistant Director, Directorate of Financial Management Information System, Bhopal	1
51.	Assistant Director, Office of the Regional Joint Director, Pension (3 in each Division)	21
52.	Accounts Officer Office of the Commissioner, Tribal Welfare Development Bhopal	1
53.	Accounts Officer, Office of the Chief Conservator of Forest, Bhopal (BCO-2)	1
54.	Accounts Officer, Directorate of Industry and Employment, Bhopal	1
55.	Accounts Officer, Chief Engineer, Rural Engineering Service, Bhopal	1
56.	Accounts Officer, Commissioner, Scheduled Castes Development, Bhopal	1
57.	Accounts Officer, Vimukt Ghummakad Evam Ardh Ghummakad Janjati Kalyan Vibhag, Bhopal	1
58.	Account Officer, Homeopathy and Indian Medical Systems, Bhopal	1
59.	Account Officer, Madhya Pradesh State Protocol Office, Bhopal	1
60.	Accounts Officer, Police Head Quarter, Bhopal	1
61.	Accounts Officer, Excise Commissioner, Gwalior	1
62.	Accounts Officer, Commissioner Land Record, Gwalior	1
63.	Accounts Officer, State Legal Services Authority, Jabalpur	1
64.	Accounts Officer, Lok Seva Prabandhan, Bhopal	1
65.	Accounts Officer, New and Renewable Energy Department, Bhopal	1
66.	Accounts Officer, Anand Department, Bhopal	1
67.	Accounts Officer, Additional Chief Conservator of Forest Bhopal (Wild Life)	1
68.	Accounts Office, Office of the Revenue Commissioner, Bhopal	1
69.	Accounts Officer, Office of Controller, Food and Drugs Administration, Bhopal	1
70.	Accounts Officer, Directorate of MSME, Bhopal	1
71.	Assistant Director, Directorate, Pension, Insurance and Provident Fund, Bhopal	6
72.	Assistant Director, Training Reserve/Leave Reserve, Directorate of Treasuries and Accounts, Bhopal.	15
	Total	279

SCHEDULE- II
(See Rule-6)

Name of Service	Name of Post	Total No. of Post	Percentage of Post shown in column (4) which are to be filled by Direct recruitment/Promotion/Selection			Remark
			By direct recruitment	By promotion	By selection	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Madhya Pradesh State Finance Service	1. Junior Grade Pay Scale	358	50%	50%	--	The calculation for post of direct recruitment /promotion posts in the junior pay scale are based on total number of sanctioned posts 690 in the cadre in five tier pay scale. grade pay scale.
	2. Senior Grade Pay Scale	183	--	--	100%	--
	3. Selection Grade Pay Scale	101	--	--	100%	--
	4. Senior Selection Grade Pay Scale	34	--	--	100%	--
	5. Super Time Grade Pay Scale	14	--	--	100%	--
	Total Number of posts	690	--	--	--	

SCHEDULE-III
(See rule-8)

Name of Service	Serial Number	Name of Post	Minimum Age	Maximum Age	Required educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Madhya Pradesh State Finance Service	1	Junior Pay Scale Assistant Director	21 Years	--	A Bachelor Degree from any recognize university	-

SCHEDULE-IV (a)
(see rule 15)

Name of the post	Name of the Service	Name of Post from which Selection is to be done	Name of Post on which Selection is to be done	Total period of expected service for selection	Members of the selection committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance Department	Madhya Pradesh State Finance Service	Madhya Pradesh State Finance Services Junior Pay Scale (Assistant Director)	Madhya Pradesh State Finance Services, Senior Pay Scale (Deputy Director)	06 Years	1. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary (Finance) - Chairman 2. Additional Secretary Finance - Member 3. Additional Secretary \ General Administrative Department - Member 4. Commissioner, Treasuries and Accounts - Member 5. Officer Representing Scheduled Cast / Scheduled Tribe - Member
		Madhya Pradesh State Finance Services Senior Pay scale (Deputy Director)	Madhya Pradesh State Finance Services, Selection Pay Scale (Joint Director)	04 Years	1. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary (Finance) - Chairman 2. Additional Secretary Finance - Member 3. Additional Secretary General Administrative Department - Member 4. Commissioner, Treasuries and Accounts - Member 5. Officer Representing Scheduled Castes/Scheduled Tribes - Member
		Madhya Pradesh State Finance Services Selection Pay Scale (Joint Director)	Madhya Pradesh State Finance Services, Senior Selection Pay Scale (Additional Director)	05 Years	1. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary (Finance) - Chairman 2. Secretary Finance - Member 3. Additional Secretary General

					Administrative Department - Member 4. Commissioner, Treasuries and Accounts - Member 5. Officer Representing Scheduled Castes/Scheduled Tribes - Member
		Madhya Pradesh State Finance Services Senior Selection Pay Scale (Additional Director)	Madhya Pradesh State Finance Services, Super Time Pay Scale (Director)	05 Years	1. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary (Finance) - Chairman 2. Secretary Finance - Member 3. Additional Secretary General Administrative Department - Member 4. Commissioner, Treasuries and Accounts - Member 5. Officer Representing Scheduled Cast/Scheduled Tribes - Member

SCHEDULE - IV (b)
(See Rule 16, 17 and 18)

Name of Department	Name of Service	Name of Post from which Promotion is to be done	Name of Post on which Promotion is to be done	Total period of expected service for selection	Name of the members of Departmental Promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance Department	Madhya Pradesh Finance Service	Subordinate Account Services Officer	Madhya Pradesh State Finance Services Junior Pay scale (Assistant Director)	05 Years	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or Person of Madhya Pradesh Public Service Commission nominated by the Chairman - Chairman 2. Principal Secretary/ Secretary Finance - Member 3. Commissioner, Treasuries AndAccounts - Member 4. Officer Representing Scheduled Castes/Scheduled Tribes - Member

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
MANOJ KUMAR JAIN, Dy. Secretary.